



UPFD010016912013

न्यायालय विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० एक्ट, फिरोजाबाद  
 उपस्थित --इफराक अहमद (एच०जे०एस०) ID-UP6193  
 विशेष सत्र वाद सं०- 72/2013

राज्य ..... अभियोजनपक्ष

बनाम

1- श्यामवीर सिंह पुत्र नेम सिंह यादव,

2- जयवीर सिंह उर्फ जसवीर पुत्र नेम सिंह यादव,

समस्त निवासीगण- नगला बनिया, थाना एका, जिला फिरोजाबाद।

..... अभियुक्तगण।

धारा- 452, 323, 504, 506 भा०द०सं०

व धारा 3(1) (X), एस०सी०/एस०टी० एक्ट

थाना- एका, जिला- फिरोजाबाद।

अपराध संख्या- 37/2012,

### निर्णय

1. उपरोक्त विशेष सत्र-परीक्षण वाद का विचारण पुलिस थाना एका जनपद फिरोजाबाद द्वारा मु०अ०सं० 37/2012 में अभियुक्तगण श्यामवीर सिंह एवं जयवीर सिंह के विरुद्ध प्रेषित आरोप पत्र अंतर्गत धारा 42, 323, 504, 506 भा०द०सं०, व धारा 3(1)(X) एस०सी०/एस०टी० एक्ट, के आधार पर संस्थित होकर किया गया। उल्लेखनीय है कि विवेचक द्वारा विवेचना के उपरान्त अभियुक्तगण श्यामवीर सिंह एवं जयवीर सिंह के नाम से आरोप पत्र प्रेषित किया गया है, किन्तु बयानों में जयवीर का नाम जसवीर अंकित हुआ है। दोनों ही अभियुक्तगण भाई हैं। निर्णय के शीर्षक में जयवीर उर्फ जसवीर कहा गया है।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी (Informant) केरन सिंह पुत्र श्री गंगा सिंह, निवासी- ग्राम नगला बनिया, थाना एका, जिला फिरोजाबाद द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 156(3) द०प्र०सं०

प्रदर्शक -1 न्यायालय ए०सी०जे०एम० प्रथम फिरोजाबाद में निम्न आशय का प्रस्तुत किया गया है कि-

“निवेदन है कि प्रार्थी अनुसूचित जाति धानुक जाति का गरीब व्यक्ति है। प्रार्थी को गाँव के उपरोक्त श्यावीर व जसवीर आज से करीब 7-8 महीने पहले हलवाई के कार्यहेतु 8000/- रुपये प्रति माह के हिसाब से मजदूरी पर जग्गी स्वीट पटियाला पंजाब लिवाकर ले गये थे, जहाँ पर प्रार्थी ने 06 महीने कार्य किया। उपरोक्त लोगों ने मजदूरी के 10,000/- रुपये देने के बाद कहा कि शेष 38000/- रुपये गाँव में चल दे दूंगा। उपरोक्त लोगों के गाँव आने पर प्रार्थी ने शेष रुपये माँगे तो 2-4 दिन का वायदा कर दिया। प्रार्थी ने दिनांक 25-12-2011 को दोनों लोगों से उक्त मजदूरी के रुपये माँगे तो उक्त लोगों ने घर पर आकर देने को कहा। प्रार्थी अपने घर चला आया। उक्त दिनांक को समय करीब 07.00 बजे शाम दोनों भाई अपने-अपने हाथों में लाठी, डण्डा लेकर प्रार्थी के घर पर आये और दरवाजे को पीटते हुए माँ बहिन की गन्दी-गन्दी गालियां देते हुए कहा कि साले धनुका बाहर निकल आज तुझको रुपये देता हूँ। प्रार्थी ने जैसे ही दरवाजा खोला व गाली देने से मना किया तो दोनों भाई बल पूर्वक घर के अन्दर घुस आये और प्रार्थी को पकड़कर घर के आंगन में डाल लिया तथा लात, घुंसी से व डण्डों से मारपीट करते हुए कहा कि साला धनुका सबके सामने बार-बार रुपये माँगता है, आज इतना मारों कि दोबारा रुपये नहीं माँग पाये। मारपीट से प्रार्थी के गंभीर चोटें आईं। प्रार्थी के माता-पिता बचाने आये तो उनको भी माँ-बहन की गाली-गलौज करते हुए लाठी, डण्डों से मारापीटा। रोने चिल्लाने की आवाज सुनकर गाँव के धर्मदास पुत्र सुजान सिंह, लक्ष्मण सिंह पुत्र श्र गोवर्धन, किशोर कुमार अन्य बहुत से लोग आ गये, जिन्होंने घटना को देखा व बचाया। उक्त लोगों ने प्रार्थी को गालियां देते हुए कहा कि साले धनुका हमने तुम्हारे रुपयों को हड़प लिया है, दोबारा माँगने आया तो जान से मार देंगे, धमकी देकर भाग गये। प्रार्थी घटना की रिपोर्ट करने दूसरे दिन सुबह थाना एका गया तो दरोगा जी ने रिपोर्ट न लिखकर जाँच की बात कह दी और न ही डाक्टरी करायी। तब मजबूर होकर प्रार्थी ने दिनांक 03-01-12 को जिरये रजिस्ट्री प्रार्थना पत्र पुलिस अधीक्षक महोदय फिरोजाबाद, माननीय अध्यक्ष महोदय अनुसूचित जाति/ अनु० जनजाति आयोग, उ०प्र० लखनऊ तथा

डी०आई०जी० महोदय, आगरा को दिये लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। तब उसने प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।"

3. उपरोक्त प्रार्थना पत्र **प्रदर्श क-1** पर न्यायालय के आदेश से थाना एका पर प्रथम सूचना रिपोर्ट मु०अ०सं० 37/2012, अन्तर्गत धारा 452, 323, 504, 506 भा०दं०सं० व धारा 3(1)10, एस०सी०/एस०टी० एक्ट दिनांकित 09-02-2012 को **प्रदर्श क-2** के रूप में अभियुक्तगण श्यामवीर सिंह एवं जयवीर सिंह के विरुद्ध पंजीकृत की गयी, जिसकी प्रविष्टि रोजनामचाआम (G.D.) में गयी, जिसकी प्रति पत्रावली पर प्रदर्श क-3 है।

4. विवेचना अग्रसारित करते हुए विवेचक द्वारा साक्षियों के बयान अन्तर्गत धारा 161 द०प्र०सं० अंकित किये गये। घटना स्थल का निरीक्षण किया गया। पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर अभियुक्तगण **श्यामवीर सिंह एवं जयवीर सिंह** के विरुद्ध आरोप पत्र **प्रदर्श क-5** प्रेषित किया गया।

5. अभियुक्तगण को नकले प्राप्त करायी गयी। मेरे विद्वान पूर्वाधिकारी द्वारा अभियोजन एवं बचाव पक्ष को सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त पर्याप्त आधार पाये जाने पर अभियुक्तगण **श्यामवीर सिंह एवं जयवीर सिंह** के विरुद्ध आरोप अन्तर्गत धारा 452, 323, 504, 506 भा०दं०सं०, व धारा 3(1)10, एस०सी०/एस०टी० एक्ट दिनांक 12-12-2013 को विरचित किया गया। अभियुक्तगण ने आरोपों से इंकार किया तथा विचारण की माँग की।

6. आरोप के समर्थन में अभियोजन द्वारा निम्न साक्षीगण को परीक्षित किया गया-

क्रम सं०	नाम साक्षी	
1	PW-1 केरन सिंह	वादी मुकदमा (Informant)/चोटिल
2	PW-2 गंगा सिंह	चश्मदीद साक्षी
3	PW- 3 रामा देवी	चश्मदीद साक्षी
4	PW- 4 लक्ष्मण	साक्षी

5	PW- 5 धर्मदास	साक्षी
6	PW- 6 उपनिरीक्षक गीतम सिंह	चिक लेखक
7	PW- 7 किशोर कुमार	साक्षी
8	PW- 8 क्षेत्राधिकारी राजमणि	विवेचक

### 7. अभियोजन की ओर से निम्नलिखित प्रदर्श साबित किये गये-

क्रम सं०	अभियोजन प्रपत्र	प्रदर्श
1	प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 156(3)द०प्र०सं०	प्रदर्श क- 1
2	चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट	प्रदर्श क- 2
3	जी०डी०	प्रदर्श क- 3
4	नक्शा नजरी	प्रदर्श क- 4
5	आरोप पत्र	प्रदर्श क- 5

8. अभियुक्त के बयान अन्तर्गत धारा 313 द०प्र०सं० अंकित किये गये। अभियुक्त ने साक्षियों द्वारा आर्थिक लाभ पाने तथा दूसरों के कहने पर बयान देना बताया तथा मुकदमा रंजिशन चलना बताया तथा कहा कि मैंने कोई अपराध नहीं किया। मैं निर्दोष हूँ। मुझे झूठा फंसाया गया है।

**धारा 452 भा०द०सं० के अंतर्गत अभियोजन को निम्न तत्वों को साबित करना आवश्यक है-**

- (i) यह कि अभियुक्त ने अतिचार कारित किया,
- (ii) यह कि उसने ऐसा किसी निर्माण, तम्बू या जलयान में प्रवेश करके या अवैध रूप से रह करके किया;
- (iii) यह कि ऐसा निर्माण, तम्बू या जलयान मानव आवास या उपासना स्थल या सम्पत्ति की अभिरक्षा के स्थान के रूप में प्रयोग किया जाता था;
- (iv) यह कि अभियुक्त ने ऐसा गृह अतिचार उपहति कारित करने या हमला करने या किसी व्यक्ति की उपहति, हमला या सदोष अवरोध के भय में डालने के लिए किया।

**धारा 323 भा०द०सं० के अंतर्गत अभियोजन को निम्न तत्वों को साबित करना आवश्यक है-**

- (i) यह कि अभियुक्त ने वास्तव में परिवादकर्ता को शारीरिक पीड़ा, रोग या अंग शौथिल्य कारित किया;
- (ii) यह कि अभियुक्त ने ऐसा उपहति कारित करने के आशय से या इस ज्ञान के साथ कि उपहति कारित किया जाना संभाव्य है, किया।

**धारा 504 भा०द०सं० के अंतर्गत अभियोजन को निम्न तत्वों को साबित करना आवश्यक है-**

- (i) यह कि अभियुक्त ने किसी व्यक्ति को अपमानित किया,
- (ii) यह कि उसने ऐसा साशय किया-
- (iii) यह कि उसने तदद्वारा उस व्यक्ति को गंभीर प्रकोपन किया
- (iv) यह कि वह आशय रखता था या जानता था कि यह संभाव्य है कि ऐसे प्रकोपन से वह लोक शांति भंग करेगा या कोई अन्य अपराध कारित करेगा।

**धारा 506 भा०द०सं० के अंतर्गत अभियोजन को निम्न तत्वों को साबित करना आवश्यक है-**

- (i) यह कि अभियुक्त ने किसी व्यक्ति के शरीर, ख्याति या सम्पत्ति आदि को या किसी अन्य व्यक्ति को, जिसमें पूर्ववर्ती हितबद्ध हो, क्षति कारित करने की धमकी दिया,
- (ii) यह कि अभियुक्त ने ऐसा अपराध के पीड़ित व्यक्ति को चेतावनी देने के आशय से किया, एवं-
- (iii) यह कि उसने ऐसा इस कारण से किया कि पीड़ित व्यक्ति कोई ऐसा कार्य करें या करने का लोप करें जिसे करने के लिए वह विधिपूर्वक बाध्य न हो।

**अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 की धारा 3(1) में यह प्रावधान है कि-** कोई भी व्यक्ति जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है,

उपधारा (X) के प्रावधान के अनुसार- जनता को दृष्टिगोचर किसी स्थान में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य का अपमान करने के आशय से साशय उसको अपमानित या अभिन्नस्त करेगा।

वह कारावास से जिसकी अवधि छः माह से कम की नहीं होगी, किन्तु जो पाँच वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माने से दण्डनीय होगा।

9. मैंने अभियोजन की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक व बचाव पक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का परिशीलन किया।

**अभियोजन पक्ष की ओर से पी०डबल्यू० 1 केरन सिंह को परीक्षित किया गया। साक्षी पी०डबल्यू० 1 ने शपथपूर्वक कथन किया है कि-**

"घटना 25-12-2011 की है। इस घटना से 7-8 महीने पहले श्यामवीर व जसवीर हलवाई का काम कराने के लिये जग्गी स्वीट पटियाला पंजाब लेकर गये थे। वहां मैंने छः महीने काम किया था। इन लोगों ने मुझे 10,000/- रूपया दे दिये थे। बाकी यह कह दिया था गाँव आकर रूपया दूंगा। इसके बाद मैंने गाँव चला आया। मेरे 38 हजार रूपया शेष रह गये थे। श्यामवीर व जसवीर गाँव आये थे तब मैंने उनसे शेष रूपये मांगे थे। तब उन्होंने 2-4 दिन में रूपये देने का वादा किया था। इसके बाद मैंने 25-12-11 को मैंने मजदूरी के शेष रूपये माँगे तो मुल्जिमान ने कहा कि मैं तुम्हारे घर आकर दूंगा। फिर मैं घर चला आया। दोनों भाई श्यामवीर व जसवीर मेरे घर शाम को 07.00 बजे घर पर आये और दरवाजा पीटकर माँ बहन की गालियां देने लगे और कहा कि साले धनुका बाहर निकल। तभी मैंने दरवाजा खोला तो यह दोनों लोग घर के अन्दर घुस आये तथा आँगन में ले गये तथा लात, घूसों व डण्डों से मारापीटा। मेरे माता-पिता बचाने आये तो उन्हें भी मारापीटा। शोर सुनकर धर्मदास, लक्ष्मण सिंह, किशोर कुमार अन्य लोग आ गये थे, जिन्होंने घटना देखी और बचाया। यह लोग जाते समय यह धमकी दे गये साले धनुका आज तो बच गया है आगे तुझे जान से मार देंगे। मैं रिपोर्ट लिखाने अगले दिन थाने गया था, लेकिन मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी कहा जाँच करने के बाद रिपोर्ट लिखेंगे। सी०ओ० साहब के यहाँ गया वहां भी कोई सुनवाई नहीं हुई। तब मैंने वकील के माध्यम से एक प्रार्थना पत्र टाइप कराकर दिया। माननीय न्यायालय के आदेश से मेरा मुकदमा कायम हुआ। धारा 156(3) द०प्र०सं० का प्रार्थना पत्र देखकर कहा यह वही प्रार्थना पत्र है जो मैंने न्यायालय में दिया था। जिस पर मेरे हस्तक्षर है, जिस पर प्रदर्श क-1 डाला गया।"

**अभियोजन पक्ष की ओर से पी०डबल्यू० 2 गंगा सिंह को परीक्षित किया गया। साक्षी पी०डबल्यू० 2 ने शपथपूर्वक कथन किया है कि-**

"घटना आज से लगभग तीन साल तीन महीने पहले की है। शाम के लगभग 06.30 बजे की है। मैं अपने घर पर अपनी पत्नी व बच्चों के साथ बैठा था। तभी श्यामवीर जसवीर दोनों लोग हमारे घर में गुस आये तथा मेरे लड़के केरन सिंह के साथ मारपीट करने लगे और कहने लगे साले धनुका दाम माँगेगा। मारपीट घर के आँगन में हुई थी। मैं व मेरी पत्नी बचाने गये तो हम लोगों के साथ भी मारपीट की तथा गाली-गलौज की। मौके पर गवाह लक्ष्मण, धर्मदास आदि लोग आ गये थे। मुल्जिमानों ने कहा अब कभी पैसे मांगे तो जान से मार देंगे। मुझे कोई खुली चोट नहीं आई थी। डाक्टरी मुआयना नहीं हुआ था।"

**अभियोजन पक्ष की ओर से साक्षी पी०डबलू० 3 रामा देवी को परीक्षित किया गया। साक्षी पी०डबलू 3 ने शपथपूर्वक कथन किया है कि-**

"घटना आज से लगभग साढ़े तीन साल पहले की है। शाम के 07.00 बजे का समय था। उस समय मैं अपने घर पर थी। घर पर मेरा लड़का केरन सिंह व बहू घर पर मौजूद थी। तभी श्यामवीर व जसवीर मेरे घर में घुस आये। उस समय मेरा लड़का केरन सिंह रोटी खा रहा था। उसके साथ मारपीट करने लगे। मारपीट डण्डों व हाथ में की थी और कहा साले धनुका और रूपया माँगेगा। मैं तथा मेरे पति गंगा सिंह बचाने पहुँचे तो हम लोगों के साथ भी हाथ मारपीट की थी। मुल्जिमान ने गाली-गलौज की और कहा यदि पैसा माँगे तो जान से मार देंगे। जाति सूचक शब्द धनुका कहा। मारपीट घर के आँगन में हुई थी। मेरे खुली हुई चोटें नहीं आयी थी। डाक्टरी मुआयना नहीं हुआ था।"

**अभियोजन पक्ष की ओर से साक्षी पी०डबलू० 4 लक्ष्मण को परीक्षित किया गया। साक्षी पी०डबलू 4 ने शपथपूर्वक कथन किया है कि-**

"आज से साढ़े तीन साल पहले शाम के 07.00 बजे श्यामवीर व जसवीर ने मेरे सामने इस मुकदमें के वादी केरन सिंह के साथ कोई मारपीट नहीं की थी ना ही गाली-गलौज व जान से मारे की धमकी दी थी और ना ही मेरे सामने घर में घुसकर केरन सिंह व उसके परिवार के लोगों के साथ मारपीट की। ना ही मेरे सामने इन लोगों ने जाति सूचक शराब कहे थे।"

**अभियोजन पक्ष की ओर से साक्षी पी०डबलू० 5 धर्मदास को परीक्षित किया गया। साक्षी पी०डबलू ० 5 ने शपथपूर्वक कथन किया है कि-**

“ आज से साढ़े तीन साल पहले शाम के 07.00 बजे श्यामवीर व जसवीर ने मेरे सामने वादी केरन सिंह के साथ घर में घुसकर कोई मारपीट नहीं की थी। ना ही उसके परिवार के साथ घर में घुसकर कोई मारपीट नहीं की थी। ना ही जान से मारने की धमकी दी और ना ही जाति सूचक शब्द कहे थे।”

**अभियोजन पक्ष की ओर से साक्षी पी०डबलू० 6 गीतम सिंह को परीक्षित किया गया। साक्षी पी०डबलू० 6 ने शपथपूर्वक कथन किया है कि-**

“मैं दिनांक 09-02-12 को थाना एका में बाहैसियत सी०सी० के पद० पर तैनात था। उस दिन माननीय न्यायालय द्वारा धारा 156(3) द०प्र०सं० का प्रार्थना पत्र व आदेश प्राप्त होने पर अभियुक्तगण श्यामवीर सिंह आदि दो नफर के विरुद्ध मु०अ०सं०ख्या 37/12 धारा 452, 323, 504, 506 भा०दं०सं० व धारा 3(1)10 एस०सी०/एस०टी० एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया था। मूल चिक एफ०आई०आर० मेरे लेख व हस्ताक्षर में है। शामिल पत्रावली कागज सं० 4अ/1 व 4अ/2 है, जिसकी मैं तादीक करता हूँ, जिस पर प्रदर्श क-2 डाला गया। इस अभियोग का खुलासा मैंने उसी दिन रोजनामचाआम के रपट नं० 16 पर समय 14.00 बजे किया था। रोजनामचाआम मैंने कार्बन लगाकर असल के साथ कार्बन प्रति तैयार की थी। असल जी०डी० आज मैं अपने साथ लाया हूँ। इसकी कार्बन प्रति जी०डी० जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, वह पत्रावली पर कागज सं० 6अ है, जिसकी मैं तस्दीक करता हूँ, जिस पर प्रदर्श क-3 डाला गया।”

**अभियोजन पक्ष की ओर से साक्षी पी०डबलू० 7 किशोर कुमार को परीक्षित किया गया। साक्षी पी०डबलू० 7 ने शपथपूर्वक कथन किया है कि-**

“दिनांक 25-12-11 को समय शाम 07.00 बजे मैं मजदूरी करने के लिये बाहर गया था। गाँव में नहीं था। मैं मजदूरी करने गाँव से बाहर 15-15 दिन के लिये भी चला जाता हूँ। अभियुक्तगण श्यामवीर, जसवीर ने मेरे सामने केरन सिंह की कोई भी मारपीट नहीं की थी और ना ही अभियुक्तगण ने मेरे सामने जाति सूचक शब्द कहते हुए केरन सिंह को अपमानित किया और ना ही इन मुल्जिमों ने मेरे सामने गाली-गलौज दी थी, जान से मारने की धमकी नहीं दी थी।”



अभियोजन पक्ष की ओर से साक्षी पी०डबलू० 8 रिटायर क्षेत्राधिकारी राजमणि मिश्र को परीक्षित किया गया। साक्षी पी०डबलू० 8 ने शपथपूर्वक कथन किया है कि-

"मैं दिनांक 10-02-12 को क्षेत्राधिकारी जसराना के पद पर नियुक्त था। उस दिन मैंने मु०अ०संख्या 37/12 धारा 452, 504, 323, 506 भा०दं०सं० व धारा 3(1)10 एस०सी०/एस०टी० एक्ट बनाम श्यामवीर सिंह आदि दो नफर की विवेचना थाना एका की ग्रहण की थी, उसी दिन मैंने नकल चिक, नकल रपट, आदेश न्यायालय धारा 156(3) द०प्र०सं०, बयान का० सी०सी० गीतम सिंह अंकित किये। बयान वादी केरन सिंह अंकित किये। वादी मुकदमा की निशानदेही पर निरीक्षण कर घटना स्थल का नक्शा नजरी तैयार किया था। पत्रावली पर मौजूद कागज सं० 5 अ नक्शा नजरी पत्रावली पर है। नक्शा नजरी पर मैं अपने लेख व हस्ताक्षर की शिनाख्त करता हूँ। नक्शा नजरी पर प्रदर्श क-4 अंकित किया गया। तत्पश्चात समाई साक्ष्य नरेन्द्र सिंह, शेर सिंह अंकित किये। बयान गवाह चश्मदीद गंगा सिंह, श्रीमती रामा देवी, धर्मदास, लक्ष्मण सिंह, किशोर कुमार के अंकित किये। तमामी साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण श्यामवीर सिंह, जयवीर सिंह के विरुद्ध धारा 452, 323, 504, 506 भा०दं०सं० व धारा 3(1)10 एस०सी० एस०टी० एक्ट का आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया था। आरोप पत्र पत्रावली पर 3 अ है, जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, जिसकी मैं शिनाख्त करता हूँ, आरोप पत्र पर **प्रदर्श क-5** अंकित किया गया।"

10. प्रस्तुत मामले में विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या दिनांक 25-12-11 को समय 07.00 बजे शाम अभियुक्तगण ने वादी केरन सिंह के मकान में वादी को उपहति कारित करने के आशय से गृह अतिचार कारित किया ? क्या उपरोक्त तिथि स्थान व समय पर स्वेच्छयापूर्वक डण्डा व लात, घूसों से मारकर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की ? क्या वादी केरन सिंह को उपरोक्त समय व स्थान व दिनांक को गाली-गलौज देकर अपमानित किया और जान से मारने की धमकी दी ? क्या अभियुक्तगण ने उपरोक्त अपराध यह जानते हुए किया कि वादी अनुसूचित जाति का सदस्य है और उसे धनुका कहकर जाति सूचक गालियां देकर अपमानित किया ?

11. अभियोजन की ओर से यह तर्क दिया गया है कि वादी ने अभियुक्तगण के साथ मजदूरी करने गया था। उसकी मजदूरी का पैसा बकाया था, जिसे माँगने के लिए वादी अभियुक्तगण के घर दिनांक 25-12-2011 को गया। वहाँ पर कहासुनी हुई। अभियुक्तगण ने कहा कि घर आकर पैसे देंगे और सांयकाल में एक राय होकर गाली-गलौज और जाति सूचक गालियां देते हुए आये और बल पूर्वक घर के अन्दर घुस गये और मारपीट किया। विवेचक द्वारा विवेचना के उपरान्त पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर आरोप पत्र प्रेषित किया गया। अग्रेतर यह तर्क दिया गया कि वादी और उसके माता-पिता के बयानों में कोई तात्विक विरोधाभास नहीं है। घटना का मूल तात्विक रूप से साबित है। इस पर किसी भी प्रकार अविश्वास नहीं कि जा सकता है। अभियुक्तगण की दोषसिद्धी के लिए पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं। अभियोजन की ओर से याचना की गयी कि अभियुक्तगण को दण्डित किया जाये।

12. अभियुक्तगण/बचाव पक्ष की ओर से यह तर्क दिये गये हैं कि **घटना स्थल वादी के घर के अन्दर है।** कथित घटना के समय कोई प्रकाश की व्यवस्था नहीं थी। कथित चोटहिलों का कोई डाक्टरी मुआयना नहीं हुआ है। प्रथम सूचना रिपोर्ट अत्यन्त विलम्ब से लिखायी गयी है, घटना के लगभग 47 दिन बाद दर्ज करायी गयी है। धारा 3(1) (X) एस०सी०एस०टी० एक्ट का अपराध गठित नहीं होता है, क्योंकि गाली-गलौज देना घर के अन्दर दर्शाया गया है जो सार्वजनिक स्थान नहीं है। वादी ने अपनी प्रथम सूचना रिपोर्ट और न्यायालय में दिये गये बयानों में घर के अन्दर का बताया है। वादी ने प्रथम सूचना रिपोर्ट में कहा कि अभियुक्तगण घर के अन्दर घुस आये और प्रार्थी/वादी को पकड़कर घर के आँगन में ले गये और लात, घुंसों से मारपीटा तथा कहा कि घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में घटना के चक्षुदर्शी साक्षी धर्मदास, लक्ष्मण और किशोर कुमार ने घटना का समर्थन नहीं किया और कहा कि हमारे सामने श्यामवीर और जसवीर ने कोई घटना नहीं की। वादी के माता-पिता को कोई डाक्टरी परीक्षण नहीं कराया गया है। जबकि वादी ने अपनी प्रथम सूचना रिपोर्ट में लाठी, डण्डा, लात, घुंसों से वादी, उसकी माँ तथा पिता के साथ मारपीट होना कहा है। विवेचक द्वारा घटना स्थल का नक्शा नजरी 29-02-2012 को बनाया गया है विलम्ब से घटना स्थल पर पहुँचने व नक्शा बनाने का कोई कारण नहीं दर्शाया गया

है। नक्शा नजरी बनाने का समय भी केस डायरी में अंकित नहीं किया है। बचाव पक्ष की ओर से अग्रेतर यह तर्क दिया गया कि नक्शा नजरी घटना स्थल के पास कई लोगों के मकान दर्शाये गये हैं लेकिन इन घरों में से किसी व्यक्ति को घटना का साक्षी नहीं बनाया गया है। घटना रात के अंधेरे की है। कथित रूप से घटना 25-12-2011 को समय 07.00 बजे की है। दिसंबर के महीने में सूर्य 05.00 बजे से पूर्व छिप जाता है। 07.00 बजे काफी अंधेरा हो जाता है। नक्शा नजरी में घटना स्थल पर कोई प्रकाश की व्यवस्था नहीं दिखाई गयी है। पी०डब्लू० 1 द्वितीय पेज के पैरा में कहा कि उस समय रात अंधेरी थी। इसी प्रकार पी०डब्लू० 2 ने पृष्ठ 3 के प्रथम पैरा में कहा कि उस समय अंधेरा था। बचाव पक्ष की ओर से अग्रेतर यह भी तर्क दिया गया कि घटना स्थल से अपराध से सम्बन्धित किसी प्रकार की कोई बरामदगी नहीं हुई है। अभियोजन साक्षी पी०डब्लू० 6 गीतम सिंह ने स्पष्ट कहा है कि वादी व उसके परिवार का कोई भी व्यक्ति थाने पर मुकदमा लिखाने नहीं आया। धारा 156(3) द०प्र०सं० का प्रार्थना पत्र अधिवक्ता द्वारा तैयार किया गया है, जिसमें घटना बढा-चढा कर दर्शायी गयी है। वादी यह बताने में असमर्थ रहा कि अभियुक्तगण के साथ किस तारीख को नौकरी करने गया और कब तक नौकरी की। मालिक का नाम भी नहीं बता सका है। वादी ने मालिक से कभी शिकायत नहीं कि मुल्जिमान पैसे नहीं दे रहे हैं। वादी यह बताने में असमर्थ रहा कि मुल्जिमान पटियाला पंजाब में मजदूरी पर काम करते थे या उनके पास ठेका था। हलवाई की दुकान पर रोज काम करने का कोई ठेका नहीं होता है। वादी ने घटना का समय भी साबित करने में असफल रहा है। उसने शाम 06.30 बजे जयपाल के घर के सामने रूपयों का तगादा करना बताया है तथा उसके आधा घण्टा बाद घटना होना बताया है लेकिन उसने स्पष्ट कहा कि दोनों ही घटना के समय दिन का समय था रात नहीं थी जबकि सर्दी के मौसम में 07.00 बजे काफी अंधेरा हो जाता है। वादी ने अपने बयानों में कहा कि उसने पैसे की बाबत गाँव के अमरपाल, मुकेश, सज्जन सिंह, सतेन्द्र सिंह, राघवेन्द्र, नरेश, अरविन्द से मुल्जिमान द्वारा पैसा ना देने की शिकायत की थी, लेकिन इन लोगों के ना तो रिपोर्ट में नाम लिखाये और ना ही इन लोगों को परीक्षित कराया गया है। अग्रेतर तर्क दिया गया कि वादी ने अपने घर के अन्दर 5-6 मिनट तक अपने साथ तथा अपने माता-पिता के साथ 2-3 मिनट तक मारपीट करना बताया है

लेकिन माँ-बाप के कहां पर चोटें आर्यीं यह बताने में वादी असफल रहा है। नक्शा नजरी में वादी ने अपने माता-पिता व पत्नी की उपस्थिति नहीं दिखाई है ना ही गवाहों की उपस्थिति दिखाई है और ना ही गवाहों के आने-जाने की दिशा भी नहीं दर्शायी है। गवाहों ने किस स्थान से खड़े होकर घटना देखी यह भी नक्शे में नहीं दर्शाया है। वादी व वादी के माता-पिता, पत्नी व गवाहों ने मुल्जिमानों को पकड़ने का कोई प्रयास नहीं किया जबकि इतने लोग दो आदमियों को आसानी से पकड़ सकते थे। वादी ने अपने बयानों में यह स्वीकार किया है कि उसके अलावा मुल्जिमान के साथ उसके गाँव के संजू, अरविन्द, नरेश, शंकर भई काम करते थे और इन लोगों को भई यह लोग लेकर गये थे तथा सभी का वेतन समय पर देते थे इन लोगों में से भी वादी ने किसी को इस बात का गवाह नहीं बनाया कि वादी उसके साथ काम करता था। वादी ने ऐसा कोई अभिलेखीय साक्ष्य भी दाखिल नहीं किया जिससे यह साबित हो सके कि वादी ने मुल्जिमानों के साथ काम किया। वादी ने घटना का समय 07.00 बजे बताया है जबकि उसके पिता गंगा सिंह ने घटना का समय शाम 06.30 बजे बताया है। पी०डब्लू० 1 वादी ने यह कहा कि घटना के समय उसके घर की कुन्दी बन्द थी मुल्जिमान ने कुन्दी खटखटाई, गाली-गलौज की तब वादी ने कुन्दी खोली और मुल्जिम घर के अन्दर घुस आये जबकि इस तरीके के बयान वादी के माता-पिता ने नहीं दिया है न तो मुल्जिमान द्वारा गाली-गलौज करना व कुन्दी खटखटाना बताया है और ना ही कुन्दी खोलना बताया है। वादी के पिता ने कहा कि जसवीर व श्यामवीर मे से एक दिल्ली में रहता है और एक विदेश में रहता है। अग्रेतर यह तर्क दिया गया कि घटना दिसंबर के महीने की है। दिसंबर के महीने में कोई होली, दिवाली का त्यौहार नहीं होता है। जबकि वादी के पिता ने कहा कि श्यामवीर और जसवीर होली, दिवाली में घर आते हैं। वादी ने यह बयान दिया कि घटना से आधा घण्टा पहले जयसिंह पाल के दरवाजे के सामने वाद-विवाद और कहासुनी हुई थी। जबकि उसके पिता गंगा सिंह ने कहा कि इससे पहले मुल्जिमान से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था। अग्रेतर यह तर्क दिया कि रूपयों के सम्बन्ध में घटना से पूर्व वादी ने कभी भी किसी पुलिस अधिकारी से कोई शिकायत नहीं की थी इससे स्पष्ट होता है कि वादी का कोई पैसा मुल्जिमान पर नहीं था। वादी ने अपने बयानों में कहा कि घटना के समय अंधेरा नहीं था जबकि वादी के पिता ने कहा कि उस समय

अंधेरा हो गया था लैम्प जल रही थी लैम्प की रोशनी में इन लोगों को देख था। अग्रेतर यह तर्क दिया गया कि वादी के कथानानुसार घटना के दूसरे दिन सुबह 07.30 बजे मैं मोटरसाइकिल से थाने गये था जबकि उसके पिता कहते हैं कि थाने घटना के 4-6 दिन बाद गये थे। उस दिन डर के कारण नहीं गये थे। वादी की माँ ने अपने साक्ष्यों में कहा कि किस महीने की घटना है उसको जानकारी नहीं है। घटना से पहले मुल्जिमान को गाँव नहीं देखा था। दोनों मुल्जिमान बाहर रहते हैं। वादी की माँ ने यह भी कहा कि मेरा व मेरे पति के साथ लाठी, डण्डों से मारपीट नहीं हुयी थी, बीच-बचाव में हल्के फुल्के हाथों से मारा था। मेरे घर के आस-पास यादव, धोबी व कठेरियों के मकान हैं कोई बचाने नहीं आया था। वादी ने अपने बयानों में कहा कि उसकी पत्नी के साथ मारपीट नहीं हुई थी। जबकि माँ ने कहा कि बहू के साथ मारपीट हुई थी। वादी और वादी के पिता ने घटना घर के आँगन में होना बताया है जबकि माँ ने घटना घर के बाहर होना बताया है। वादी ने अपने बयानों में कहा कि घटना के समय पड़ोस का कोई व्यक्ति मौके पर नहीं आया। जबकि माँ पी०डब्लू० 3 ने कहा कि पड़ोसी मदनलाल, जगदीश, दुष्यन्त मेरे पास आये थे और दरवाजे पर खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। अग्रेतर यह भी तर्क दिया गया कि आर्थिक लाभ पाने के उद्देश्य से कानूनी सलाह मशविरा से झूठा मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। अभियुक्तगण पूर्णतः निर्दोष हैं तथा दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

13. घटना दिनांक 25-12-2011 की है। पी०डब्लू० 1 केरन सिंह वादी ने अपने शपथपूर्वक बयान में यह कहा कि मैं रिपोर्ट लिखाने अगले दिन थाने गया था, लेकिन मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी गयी, कहा गया था कि जाँच करने के बाद रिपोर्ट लिखेंगे। क्षेत्राधिकारी के यहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हुई। तब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 156(3) द०प्र०सं० टाईप कराकर न्यायालय में प्रस्तुत किया। धारा 156(3) द०प्र०सं० के प्रार्थना पत्र पर अपने हस्ताक्षर की पहचान पी०डब्लू० 1 ने किया, जो पत्रावली पर प्रदर्श क-1 है। उक्त के सम्बन्ध में अभियोजन साक्षी पी०डब्लू० 6 गीतम सिंह को परीक्षित किया गया है। पी०डब्लू० 6 ने शपथपूर्वक बयान में कहा कि मैं दिनांक 09-02-2012 को थाना एका में कान्सटेबल क्लर्क के पद पर तैनात था। उस दिन न्यायालय द्वारा धारा 156(3) द०प्र०सं० के प्रार्थना पत्र पर व उसपर पारित आदेश के प्राप्त

होने पर श्यामवीर सिंह आदि कुल दो व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा अपराध सं० 37/2012, अन्तर्गत धारा 452, 323, 504, 506 भा०दं०सं० व धारा 3(1) (X) एस०सी०/एस०टी० एक्ट पंजीकृत किया था। मूल चिक मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, जिस पर साक्षी ने अपने हस्ताक्षर की शिनाख्त की, जिस पर प्रदर्श क-2 डाला गया। जबकि तत्क्षण प्रविष्टि रोजनामचाआम जी०डी० रपट सं० 16 पर समय 14.00 बजे की गयी। कार्बन लगाकर असल के साथ कार्बन प्रति तैयार की गयी। असल जी०डी० से मिलान की गयी। **कार्बन प्रति पर प्रदर्श क-3** अंकित किया गया। प्रति-परीक्षा में कहा कि वादी मेरे सामने मुकदमा लिखाने नहीं आया था। मुकदमा घटना के लगभग डेढ महीने बात पंजीकृत हुई है। चिक एफ०आई०आर० थाने से कब भेजी गयी एफ०आई०आर० में नहीं लिखा है। डाक से भेजना लिखा है। चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क-2 दिनांक 09-02-12 को समय 14.00 बजे पंजीकृत की गयी है। जबकि घटना दिनांक 25-12-2011 की है। लगभग 47 दिनों का विलम्ब है। बचाव पक्ष की ओर से यह तर्क दिया गया है कि 47 दिनों के विलम्ब का कोई यथोचित स्पष्टीकरण अभियोजन पक्ष की ओर से नहीं दिया गया है। वादी घटना के दूसरे दिन प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कराने थाने पर गया था, किन्तु स्थानीय पुलिस द्वारा मुकदमा पंजीकृत नहीं किया गया। पुलिस द्वारा जाँच करने के उपरान्त मुकदमा पंजीकृत का आश्वासन दिया। वस्तुतः वादी पी०डब्लू० 1 केरन सिंह द्वारा घटना की सूचना सम्बन्धित थाने पर अगले दिन तत्काल दी गयी और स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल प्रथम सूचना रिपोर्ट नहीं दर्ज की गयी। इस कारण उसे न्यायालय की शरण में आना पड़ा और सक्षम मजिस्ट्रेट के न्यायालय में धारा 156(3) द०प्र०सं० के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। सक्षम न्यायालय में उक्त प्रार्थना पत्र का निस्तारण करते हुए आदेश दिनांकित 03-02-12 पारित किया गया और स्थानीय पुलिस को निर्देशित किया गया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर विधि अनुसार विवेचना करना सुनिश्चित करें। इस प्रकार समग्र परिस्थितियों के आलोक में स्पष्ट है कि घटना की सूचना सम्बन्धित थाने पर तत्काल दी गयी, किन्तु स्थानीय पुलिस द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं की गयी। स्थानीय पुलिस की ओर से विलम्ब कारित किया गया है। वादी की ओर से कोई अनुचित विलम्ब कारित नहीं किया गया है।

**वादी केरन सिंह पी०डब्लू० 1** ने अपने शपथपूर्वक बयान में कहा कि घटना 25-12-2011 की है। इस घटना से 7-8 महीने पहले श्यामवीर व जसवीर हलवाई का काम कराने के लिये जग्गी स्वीट पटियाला पंजाब लेकर गये थे। वहां मैंने छः महीने काम किया था। इन लोगों ने मुझे 10,000/- रूपया दे दिये थे। बाकी यह कह दिया था गाँव आकर रूपया दूंगा। इसके बाद मैंने गाँव चला आया। मेरे 38 हजार रूपया शेष रह गये थे। श्यामवीर व जसवीर गाँव आये थे तब मैंने उनसे शेष रूपये मांगे थे। तब उन्होंने 2-4 दिन में रूपये देने का वादा किया था। इसके बाद मैंने 25-12-11 को मैंने मजदूरी के शेष रूपये माँगे तो मुल्जिमान ने कहा कि मैं तुम्हारे घर आकर दूंगा। फिर मैं घर चला आया। अग्रेतर कहा कि दोनों भाई श्यामवीर व जसवीर मेरे घर शाम को 07.00 बजे घर पर आये और दरवाजा पीटकर माँ बहन की गालियां देने लगे और कहा कि साले धनुका बाहर निकल। तभी मैंने दरवाजा खोला तो यह दोनों लोग घर के अन्दर घुस आये तथा आँगन में ले गये तथा लात, घूसों व डण्डों से मारापीटा। अग्रेतर शपथपूर्वक कहा कि मेरे माता-पिता बचाने आये तो उन्हें भी मारापीटा। शोर सुनकर **धर्मदास, लक्ष्मण सिंह, किशोर कुमार** अन्य लोग आ गये थे, जिन्होंने घटना देखी और बचाया। यह लोग जाते समय यह धमकी दे गये साले धनुका आज तो बच गया है आगे तुझे जान से मार देंगे। प्रति-परीक्षा में कहा कि मैं किस तारीख को नौकरी करने के लिए गया था, मुझे तारीख याद नहीं है। पटियाला पंजाब में नौकरी के मालिक का नाम मुझे नहीं मालूम है। मैं यह भी नहीं बता सकता कि मैंने किस तारीख तक नौकरी की थी। मैं किस तारीख को पंजाब से नौकरी छोड़कर आया मैं नहीं बता सकता हूँ। अग्रेतर कहा कि जयवीर और श्यामवीर एक ही जगह काम करते थे। मुल्जिमान ने मेरे साथ 06 महीने काम किया था। इससे पहले में दिल्ली में बीकानेर वाला स्वीट हाउस में काम करता था। मैंने करीब एक-डेढ़ साल काम किया था। मुल्जिमान 20 दिसंबर 2011 को गाँव आये थे। अग्रेतर प्रति-परीक्षा में कहा कि मुल्जिमान पर काम का ठेका था। मैंने मालिक से कभी नहीं पूछा कि मुल्जिमान----- मैंने कभी मालिक से पैसे नहीं माँगे और न मैंने कभी मालिक से शिकायत की, कि मुल्जिमान पैसे नहीं दे रहे हैं। मुल्जिमान ने यह कह दिया था कि हमारा ठेका है हम तुम्हें पैसे देंगे। मुझसे हर महीने पैसे देने के लिए कहा था, लेकिन हर महीने पैसे नहीं दिये और न मैं यह बता सकता हूँ कि किस-किस तारीख को

मुल्जिमान से पैसा मिला था। मैं यह भी नहीं बता सकता हूँ कि किस तारीख को कितने रूपये दिये थे। मेरे अलावा गाँव के संजू, अरविन्द, नरेश, शेषवीर, जसवीर, श्यामवीर आदि लोग काम करते थे। इन लोगों को भी यही लोग लेकर गये थे। हमारे सामने इन लोगों को हर महीने तनखा का पैसा दिया जाता था। मुझे नहीं दिया जाता था। उसके बावजूद मैं काम छोड़कर नहीं आया था और न मैंने पुलिस को कोई शिकायत की थी। अग्रेतर कहा कि मैंने अपने साथ काम करने वाले साथियों से भी शिकायत नहीं की थी। यह कहा था कि इकट्ठे पैसे दूंगा। मैं इस घटना से करीब दो महीने पहले आया था। मैं रिपोर्ट करने से सात महीने पहले मजदूरी करने नहीं गया था। बल्कि आठ महीने पहले मजदूरी करने गया था। अगर मेरी रिपोर्ट में सात महीने पहले काम करने जाना लिखा है तो गलत लिखा है। अग्रेतर कहा कि मेरे घर के पूरब में प्रेम का उत्तर में मदनपाल का दक्षिण में वीरेन्द्र का पश्चिम में भी वीरेन्द्र का मकान है। प्रेमस्वरूप के दक्षिण में जगदीश का मकान है। यह बात सही है कि मेरे उस केस का उपरोक्त में से कोई गवाह नहीं है। मैंने घटना वाले दिन जयसिंह पाल के घर के सामने शाम को 06.30 बजे रूपये मांगे थे। मैं अकेला था। मेरे पैसे के बारे में कहासुनी हुई थी।----- थोड़ा झुटपुटा था पूर्ण अंधेरा नहीं था। मैं नहीं बता सकता कि उस समय सूर्यास्त कितने बजे होता था। उस समय रात अंधेरी थी या उजली थी मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि उस समय रात नहीं हुई थी। पैसे के तगादे के आधे घण्टे बाद घटना घटित हुई थी। उस समय भी रात नहीं हुई थी। मेरे घर का दरवाजा बंद था। मेरे घर मेरी मम्मी, पापा व मेरी पत्नी थी। मेरी लड़की थी और कोई नहीं था सब अपने-अपने घर में थे। मैंने पैसे के बाबत गाँव के अमरपाल, मुकेश, सज्जन सिंह, सतेन्द्र सिंह, राघवेन्द्र, नरेश, अरविन्द से मुल्जिमान द्वारा पैसे न देने की शिकायत की थी। इन लोगों के नाम मैंने रिपोर्ट में नहीं लिखाये थे। पुलिस ने मेरा बयान लिया था। पुलिस को इन लोगों के नाम बताये थे फिर कहा कि नहीं बताया था। अग्रेतर प्रति-परीक्षा में कहा कि झगड़ा घर के अंदर हुआ था। बाहर नहीं हुआ था। मारपीट 5-6 मिनट तक हुई थी। मुझे जमीन पर डाल लिया था। मेरे पूरे शरीर में चोटें आयी थी। मेरी चोटों से कोई खून नहीं निकला था। गुम चोटें आयी थी। सिर में कोई चोट नहीं आयी थी। हाथ, पैरों में, पीठ में चोटें आयी थी। उसके बाद मेरे माँ-बाप आ गये थे। उनके साथ भी 2-3 मिनट मारपीट हुई थी।



उनके कहाँ-कहाँ चोटें आई थी मैं नहीं बता सकता। वह खुद बतायेंगे। हम तीनों लोग बेहोश नहीं हुए थे। घायल करके भाग गये थे। हम अपने आप अस्पताल गये, फिर कहा अस्पताल नहीं गये थे। पहले थाने गये थे। हमारी डाक्टरी नहीं हुई थी। थाने से लैटर नहीं मिला था। तहरीर लिखकर दी थी। मेरे मम्मी-पापा और मैं थाने गया था। मैं उस दिन थाने नहीं गया था, अगले दिन सुबह मोटरसाइकिल से गया था। मैं घर से 07.30 बजे चला था। रजिस्ट्री की थी। थाने में जब मुकदमा नहीं लिखा गया तब मैं वकील साहब के पास आया और तहरीर मैंने खुद तैयार की थी।----- किस तारीख को तहरीर टाइप करायी थी मैं नहीं बता सकता हूँ। मैंने पहली प्रति कप्तान साहब को भेजी थी और अपने पास रखी थी। मैंने 3-4 रजिस्ट्री की थी।----- मैंने सी०ओ० साहब को घटना स्थल करीब दो माह बाद दिखाया था। जब मुल्जिमान मेरे पास आये मैं अपने घर के बरामदे में था। मैं दरवाजा खोलने गया था। दरवाजे में घुसते ही मारपीट शुरू कर दी थी। दरवाजे से पश्चिम की तरफ आ गये थे। दरवाजे से एक मीटर की दूरी पर मारपीट की थी। अग्रेतर कहा कि मैंने नक्शा बनाते समय अफने माता, पिता व पत्नी की उपस्थिति बतायी थी। उनके आने की दिशा भी बतायी थी। मेरी पत्नी भी मुझे बचाने आयी थी। मेरी पत्नी के साथ मारपीट नहीं की थी। मेरी पत्नी ने बचाया मैंने यह बात न अपनी रिपोर्ट में लिखायी है और न सी०ओ० साहब को बताया। गवाहों के आने की दिशाओं व घटना देखने का स्थान सी०ओ० को बताया था। अगर न दर्शाया हो तो मैं इसकी वजह नहीं बता सकता हूँ। बचाव पक्ष की ओर से दिये गये सुझाव से साक्षी ने इंकार किया है।

**पी०डब्लू० 2 के रूप में अभियोजन द्वारा गंगा सिंह** को परीक्षित किया गया है। पी०डब्लू० 2 ने अपने शपथपूर्वक बयान में कहा कि घटना आज से लगभग तीन साल तीन महीने पहले की है। शाम के लगभग 06.30 बजे की है। मैं अपने घर पर अपनी पत्नी व बच्चों के साथ बैठा था। तभी श्यामवीर जसवीर दोनों लोग हमारे घर में गुस आये तथा मेरे लड़के केरन सिंह के साथ मारपीट करने लगे और कहने लगे साले धनुका दाम माँगेगा। मारपीट घर के आँगन में हुई थी। मैं व मेरी पत्नी बचाने गये तो हम लोगों के साथ भी मारपीट की तथा गाली-गलौज की। मौके पर गवाह लक्ष्मण, धर्मदास आदि लोग आ गये थे। मुल्जिमानों ने कहा अब कभी पैसे मांगे तो जान से मार देंगे। मुझे कोई खुली चोट नहीं आई थी।

डाक्टरी मुआयना नहीं हुआ था। प्रति-परीक्षा में कहा कि श्यामवीर व जसवीर में एक दिल्ली में रहता है। एक विदेश में रहता है। घटना सर्दी के मौसम की है। घटना के समय दिन छिप गया था, पूरी तरह रात नहीं हुई थी। यह कहना सही है कि घटना के समय सूर्य 04.45 PM पर छिपता था। मैं मजदूरी करता हूँ। गाँव में ही मजदूरी करता हूँ। लड़का मेरा हलवाई का काम करता है। दिल्ली में करता था। घटना के एक महीने पहले मेरा लड़का दिल्ली से आया था। उस समय मैं, मेरी घरवाली और मेरा लड़का घर में मौजूद थे। मेरा दूसरा लड़का दूसरे मकान में रहता था। जसवीर व श्यामवीर होली, दिवाली घर पर गाँव में आते थे। उस दिन मैं 05.00 बजे से अपने घर पर था। रात में अपने घर की कुन्दी बन्द कर देता हूँ। मुल्जिमान पर डण्डे थे। मुल्जिमान साले धनुका जान से मार देंगे यह कहते हुये आ रहे थे। इससे पहले मुल्जिमान से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था और न कभी इन लोगों ने की कोई शिकायत इससे पहले हमिने की। जब पड़ोस के लोग आये तब उनके आने से पहले ये लोग भाग गये थे। अग्रेतर प्रति-परीक्षा में कहा कि मेरी पत्नी के भी थप्पड़, घुँसों की चोट आयी थी। लड़के पीठ, घुटनों में चोट आयी थी। मारपीट 3-4 मिनट हुई थी। खून किसी के नहीं निकला। हम तीनों में से किसी ने भी कोई डाक्टरी नहीं करायी। यह याद नहीं कि घटना के समय अंधेरी रातें थी या उजाली रातें थी। उस समय हम लोग चूल्हे पर ताप रहे थे। जहाँ ताप रहे थे वहीं पर यह लोग आ गये थे। अग्रेतर कहा कि दोनों के पास डण्डे थे। पुलिस से कभी कोई मुलाकात नहीं हुई और न पुलिस ने कभी कोई बयान लिया।----- घटना के समय दिवाली, होली या रक्षाबंधन का त्यौहार नहीं था। उस समय अंधेरा हो गया था। लैम्प जल रही थी। लैम्प की रोशनी में उन लोगों को देखा था। मुल्जिमान गंगा की तरफ से आये थे। घर से बीस कदम की दूरी पर देखा था। दरवाजा गली में खुलता था। किवाड़ दरवाजे पर थे, लेकिन खुले थे। मुल्जिमान ने 10-5 डण्डे मेरे लड़के के मारे थे। 5-5 थप्पड़ मेरे मारे थे। लड़के के पीठ पर निशान पड़ गये थे। थाने 4-6 दिन बाद गये थे। उस दिन डर के कारण नहीं गये थे। हम लोगों ने किसी डाक्टर को नहीं दिखाया था।

पी०डब्लू० 3 के रूप में रामा देवी को अभियोजन द्वारा परीक्षित किया गया है। पी०डब्लू० 3 ने अपने शपथपूर्वक बयान में कहा कि घटना आज से लगभग साढ़े तीन साल पहले की है। शाम के 07.00

बजे का समय था। उस समय मैं अपने घर पर थी। घर पर मेरा लड़का केरन सिंह व बहू घर पर मौजूद थी। तभी श्यामवीर व जसवीर मेरे घर में घुस आये। उस समय मेरा लड़का कोरन सिंह रोटी खा रहा था। उसके साथ मारपीट करने लगे। मारपीट डण्डों व हाथ में की थी और कहा साले धनुका और रूपया माँगेगा। मैं तथा मेरे पति गंगा सिंह बचाने पहुँचे तो हम लोगों के साथ भी हाथ मारपीट की थी। मुल्जिमान ने गाली-गलौज की और कहा यदि पैसा माँगेगो तो जान से मार देंगे। जाति सूचक शब्द धनुका कहा। मारपीट घर के आँगन में हुई थी। मेरे खुली हुई चोटें नहीं आयी थी। डाक्टरी मुआयना नहीं हुआ था। प्रति-परीक्षा में कहा कि घर के अंदर दरवाजे पर किवाड़ चढे हैं। आधी कच्ची दिवार है। रात को कुंडी बंद करके सोते हैं। मैं पढी-लिखी नहीं हूँ, किस महीने की घटना है मुझे नहीं मालूम है। रात कैसी थी इसकी कोई जानकारी नहीं है। घड़ी देखना नहीं जानती हूँ। मेरी बहू ने बताया था कि शाम के 07.00 बजे का समय था। मेरी बहू का नाम सरोज देवी है। घटना के समय मेरे पास दो बहू थी, दो लड़के थे। अग्रेतर कहा कि उस दिन घर पर 06.00 बजे खाना बनाया था। 07.00 बजे केरन सिंह घर आ गया था। केरन सिंह बाहर गया था। घटना वाले दिन मेरा लड़का मुल्जिमानों के घर पैसा माँगने गया था। 05.00 बजे रोटी हो रही थी तब गया था। वहाँ पर देर हो गयी थी। घटना से पहले मैंने मुल्जिमानों को गाँव में नहीं देखा था। यह सही है कि मुल्जिमान बाहर रहते हैं। उस दिन घटना वाले दिन गाँव आ गये थे। एक लड़का विदेश में रहता है। श्यामवीर व जसवीर दोनों के हाथ में डण्डा था। डण्डा किसके थे मुझे नहीं मालूम। मारपीट 05 मिनट हुई थी। मेरे व पति के साथ लाठी, डण्डों से मारपीट नहीं हुई थी। बीच-बचाव में हमको भी हाथों से मारा था। अग्रेतर कहा कि मेरे घर के पास बहुत सारे घर यादवों व धोबियों व कठेरियों के भई मकान हैं, लेकिन बचाने कोई नहीं आया था। घर से खड़े-खड़े देखते रहे। जिन लोगों ने बीच बचाव कराया किशोर, रीतेश, लक्ष्मण कठेरिया, रामस्वरूप, इन्द्रजीत आदि लोग आ गये थे। मैंने डण्डे गिने नहीं थे, श्यामवीर व जसवीर ने कितने डण्डे मारे थे। छोटी बहू सरोज मेरे पास थी। बड़ी बहू नहीं थी। छोटी बहू के साथ भी मारपीट हुई थी। मेरे लड़के के टांग में डण्डा लगा था। एक आध डण्डा पीठ में भई लगा था। अन्य कहीं चोट नहीं थी। अनगिनत खूब डण्डे लगे थे, मैंने गिने नहीं थे। बीच बचाव में मेरे व मेरे पति व बहू के कोई डण्डा नहीं लगा था। थप्पड़

घूंसे लगे थे। मुल्जिमान के डन्डे गवाहों ने छीन लिये थे। लड़ाई बाहर हुई थी। देहरी पर पहुँच गये थे लड़ाई होते-होते। मेरा लड़का मौके से दरवाजे की तरफ भाग आया था और मुल्जिमान पीछा करते हुए दरवाजे पर आ गये थे। हमने व गवाहों ने किसी मुल्जिमान को पकड़ा नहीं था। मैं बीच-बचाव करने में गिर गयी थी। लेकिन मेरे पति नहीं गिरे थे। मैं बीमार थी।----- मेरा लड़का व पति दूसरे दिन थाने गये थे। टांग में खून निकला था। ----- घटना के 2-4-6 दिन बाद पुलिस आई थी। घटना में प्रयुक्त डन्डों को गवाहान अपने घर ले गये थे। डन्डे गवाहों के घर रखे हैं या फेक दिये इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। मुल्जिमान अपने घर से आये थे। मैंने अपने दरवाजे से आते हुए देखा था। मैं अपने दरवाजे पर खड़ी थी। गाली देते हुए आ रहे थे। मुझसे लड़के के बारे में नहीं पूछा था। घर में घुस आये थे। मैं आँगन में दरवाजे से हटकर खड़ी हो गयी थी। 2-3 हाथ दरवाजे से खड़ी हो गयी थी। मेरे पड़ोसी मदनपाल, जगदीश, दुष्यन्त भई मेरे पास आये थे और दरवाजे पर खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। मुझे नहीं मालूम मुल्जिमान कैसे कपड़े पहने थे। मैं नहीं देख पायी थी। मुझे नहीं मालूम दूसरे दिन सुबह कितने बजे थाने गये थे। मुल्जिमानों को घटना से 2-3 दिन पहले गाँव में देखा था। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि मुल्जिमान घर पर न हो बाहर हो व बाहर नौकर पर थे। अग्रेतर कहा कि मेरा लड़का, पति व मेरे बीच में पैसों को लेकर बात होती थी कि ये लोग पैसा नहीं दे रहे हैं। कोई हिसाब बनाओं। तब मेरे लड़के ने वकील साहब से प्रार्थना पत्र तैयार कराकर अदालत में लगवाया और मुकदमा लिखाया।

**पी०डब्लू० 4 के रूप में लक्ष्मण पुत्र गोवर्धन सिंह** ह को अभियोजन द्वारा परीक्षित कराया गया है। पी०डब्लू० 4 ने अपने बयान में स्पष्ट रूप से कहा कि आज से साढ़े तीन साल पहले शाम के 07.00 बजे श्यामवीर व जसवीर ने मेरे सामने इस मुकदमें के वादी केरन सिंह के साथ कोई मारपीट नहीं की थी ना ही गाली-गलौज व जान से मारे की धमकी दी थी और ना ही मेरे सामने घर में घुसकर केरन सिंह व उसके परिवार के लोगों के साथ मारपीट की। ना ही मेरे सामने इन लोगों ने जाति सूचक शराब कहे थे। **अभियोजन कथानक का समर्थन न करने के कारण साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया।** जिरह की अनुमति प्रदान की गयी। प्रति-

परीक्षा में साक्षी ने धारा 161 द०प्र०सं० के अन्तर्गत अंकित बयानों से इंकार किया। घटना स्थल पर मौजूद होने की बात से इंकार किया।

इसी प्रकार का बयान अभियोजन साक्षी पी०डब्लू० 5 धर्मदास ने दिया है। पी०डब्लू० 5 ने भी अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया और पक्षद्रोही घोषित किया गया। अभियोजन को प्रति-परीक्षा की अनुमति दी गयी। साक्षी ने विवेचक द्वारा अंकित बयान अन्तर्गत धारा 161 द०प्र०सं० से इंकार किया। घटना वाले दिन मजदूरी करने का कथन किया है। प्रति-परीक्षा में कहा कि मैं जब शाम गाँव वापस आया तो मैंने सुना था कि श्यामवीर व जसवीर ने केरन सिंह के साथ मारपीट की है। यह बात मैंने सुनी थी।

पी०डब्लू० 7 किशोर कुमार ने भी अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया और उसे भी अभियोजन के निवेदन पर पक्षद्रोही घोषित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से की गयी प्रति-परीक्षा में साक्षी ने धारा 161 द०प्र०सं० के अन्तर्गत दिये गये किसी भी बयान से इंकार किया। न्यायालय द्वारा भी प्रति-परीक्षा की गयी। फिर भी अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया।

पी०डब्लू० 8 के रूप में क्षेत्राधिकारी राजमणि मिश्र को परीक्षित किया गया है। जिन्होंने नक्शा नजरी प्रदर्शक-4 व आरोप पत्र प्रदर्शक-5 तैयार करना साबित किया है। प्रति-परीक्षा में कहा कि मैंने जाति सम्बन्धित कोई प्रमाण पत्र संकलित नहीं किया। डाक्टरों का कोई बयान नहीं लिया गया। क्योंकि वादी मुकदमा ने कोई मेडिकल प्रस्तुत नहीं किया गया था। नक्शा नजरी तैयार करते समय वादी घटना स्थल पर मौजूद था। इसका कोई अभिलेखीय प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है।

बचाव पक्ष की ओर से यह तर्क दिया गया कि घटना स्थल अभियुक्तगण के घर का आँगन है, वस्तुतः यह तर्क आंशिक रूप से सत्य प्रतीत होता है। प्रथम सूचना रिपोर्ट न्यायालय के आदेशानुसार पंजीकृत हुई है। वादी पी०डब्लू० 1 केरन सिंह ने शपथपूर्वक बयान करते हुए यह कथन किया है कि दिनांक 25-12-11 को वह मजदूरी के शेष पैसे माँगने के लिए गया किन्तु अभियुक्तगण ने यह कहा था कि घर आकर पैसे देंगे। इस बात पर वादी लौट आया। दोनों अभियुक्तगण वादी के घर शाम 07.00 बजे आये और दरवाजा पीटकर माँ-बहन की गालियाँ देने लगे और कहा कि साले धनुका बाहर निकल और यह लोग घर के अन्दर घुस

आये और घर के आँगन में ले गये और लात, घूसों, थप्पड़ों और डण्डों से मारापीटा। वादी के बयान से स्पष्ट है कि अभियुक्तगण दरवाजे के बाहर से गंदी-गंदी गालियां दे रहे थे और जाति सूचक शब्द धनुका से भी सम्बोधित किया। वादी के पिता गंगा सिंह पी०डब्लू० 2 ने अपने बयान में कहा कि मुल्जिमान पर डण्डे थे। मुल्जिमान साले धानुक जान से मार देने यह कहते हुए आ रहे थे। वादी की माँ पी०डब्लू० 3 ने अपने बयान में कहा कि लड़ाई बाहर हुई थी। देहरी पर पहुँच गये थे। अग्रेतर कहा कि मेरा लड़का दरवाजे से बाहर की तरफ भाग आया था और मुल्जिमान पीछा करते हुए दरवाजे पर आ गये थे। उपरोक्त बयानों से यह स्पष्ट है कि अभियुक्तगण ने सर्वप्रथम घर के बाहर गाली-गलौज किया और पीछा करते हुए घर के बाहर आ गये और मारपीट किया। इस प्रकार स्पष्ट है कि घटना स्थल न केवल वादी के घर का आँगन है बल्कि वादी घर के बाहर भी घटना कारित की गयी है। जहाँ तक प्रकाश की व्यवस्था का सम्बन्ध है, इस सम्बन्ध में यह देखा जाना समिचीन है कि घटना दिसम्बर के महीने की है। निसंदेह दिसंबर के महीने में सूर्य शीघ्र छिप जाता है। वादी ने अपनी प्रति-परीक्षा में कहा कि मैं घटना वाले दिन जय सिंह पाल के घर के सामने शाम को 06.30 बजे रूपये मांगे थे। मैं अकेला था। थोड़ा झुटपुटा था अंधेरा नहीं हुआ था। पी०डब्लू० 2 गंगा सिंह वादी के पिता ने कहा कि घटना समय दिन छिप गया था। पूरी तरह रात नहीं थी। साक्षी ने इस बात को सही बताया कि घटना के समय सूर्य 04.45PM पर छिपता था। स्पष्ट है कि घटना के समय इतना अंधकार नहीं था कि अभियुक्तगण को पहचाना नहीं जा सके। वादी की माँ ने अपने साक्ष्यों में यह स्पष्ट रूप कहा कि अभियुक्तगण को लैम्प की रोशनी में देखा गया था। नक्शा नजरी में भले ही प्रकाश की कोई व्यवस्था नहीं थी, किन्तु जिस समय घटना हुई थी उस समय अभियुक्तगण को आसानी से पहचाना जा सकता था और अभियुक्तगण को पहचाना भी गया। जहाँ तक अभियुक्तगण की ओर से यह तर्क दिया गया है कि कथित चोटहिल अर्थात वादी पी०डब्लू० 1, उसके पिता पी०डब्लू० 2 और माता पी०डब्लू० 3 का कोई मेडिकल नहीं कराया गया है, इस सम्बन्ध में यह ध्यान दिया जाना समिचीन होगा कि अभियुक्तगण द्वारा डण्डों और हाथों से मारपीट की गयी कोई जाहिरा चोट नहीं थी। लात, घूसों की चोट से कोई खून नहीं निकला था इस कारण साधारण उपहति के मामले में कोई मेडिकल परीक्षण नहीं कराया गया ,

क्योंकि मेडिकल परीक्षण कराने की कोई आवश्यकता नहीं प्रतीत हुई। घटना न केवल घर के अन्दर हुई है अपितु घर के बाहर भी कारित की गयी है। घर के बाहर बरामदे के पास गाली-गलौज और जाति सूचक गालियां दी गयी जो लोक दृष्टि में आने वाले स्थान हैं। ऐसी स्थिति में यदि कोई सामान्य जाति का व्यक्ति किसी अनुसूचित जाति के साथ गाली - गलौज और मारपीट करता है और जाति सूचक गालियां देता है उस परिस्थिति में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के प्रावधान आकृष्ट होंगे। निःसंदेह प्रस्तुत मामले में घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है, किन्तु इस तथ्य की अनदेखी नहीं की जा सकती कि भलाई-बुराई के कारण सामान्यतः लोग साक्ष्य के लिए स्वयं को प्रस्तुत करने में असमर्थ पाते हैं। वादी और उसके माता-पिता के साक्ष्यों में किसी प्रकार का कोई अन्तर्विरोध नहीं है। उनके साक्ष्यों में तारतम्यता है। नक्शा नजरी में घटना स्थल के पास कई लोगों के मकान अवश्य दर्शाये गये हैं, किन्तु उनमें से कोई भी व्यक्ति साक्षी नहीं बनाया गया है, इस सम्बन्ध में वादी कि माँ ने कहा कि लोग तमाशा देख रहे थे, लेकिन कोई बचाने नहीं आया था। जहाँ तक हेतुक का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में वादी ने अपनी प्रथम सूचना रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया है कि विवेचक के समक्ष दिये गये बयान में न्यायालय में दिये गये बयान में स्पष्ट रूप से कहा कि वादी पी०डब्लू० 1 अभियुक्तगण के साथ काम करने के लिए पटियाला पंजाब गया और वहाँ पर उसने 06 महीने काम किया था। अभियुक्तगण ने छह हजार रुपये दिये और शेष 38,000/- रुपये बाकी रह गये। उन्हीं पैसों को माँगने के लिए दिनांक 25-12-2011 को वादी अभियुक्तगण के घर गया था। तब अभियुक्तगण ने कहा कि पैसे घर आकर देंगे। वादी लौट आया। शाम 07.00 बजे अभियुक्तगण श्यामवीर और जसवीर आये और दरवाजा पीटते हुए माँ-बहन की गालियां दी और साले धनुका बाहर निकल कहा। उसी समय वादी केरन सिंह ने दरवाजा खोला और अभियुक्तगण घर के अंदर घुस आये और आँगन में ले गये तथा लात, डण्डे से मारापीटा। वादी के माता-पिता पी०डब्लू० 2 व पी०डब्लू० 3 बचाने आये तो उन्हें भी मारापीटा। शोर सुनकर धर्मदास, लक्ष्मण और किशोर कुमार व अन्य लोग आ गये जिन्होंने घटना देखी व बचाया। लेकिन लक्ष्मण को अभियोजन द्वारा पी०डब्लू० 4 और धर्मदास को पी०डब्लू० 5 के रूप में परीक्षित किया गया। दोनों ही साक्षी पक्षद्रोही हो गये और घटना

का समर्थन नहीं किया है। वादी के साक्ष्य में आया है कि जाते समय अभियुक्तगण ने धमकी दी कि साले धनुका आज तो बच गया आगे तुझे जान से मार देंगे। भले ही वादी पी०डब्लू० 1 यह बताने में असमर्थ रहा कि वह किस तारीख को नौकरी करने गया और मालिक का नाम बताने में असमर्थ रहा किन्तु इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव अभियोजन कथानक पर नहीं पड़ेगा। वादी ने अपने बयानों में यह कहा कि अभियुक्तगण जयवीर व श्यामवीर उसके साथ काम करते थे। छह महीने उसके साथ काम किया था। पंजाब में काम करने से पूर्व वादी दिल्ली में काम करता था। चूंकि अभियुक्तगण द्वारा वादी की मजदूरी का पैसा नहीं दिया गया इसलिए पैसे माँगने घटना वाले दिन अभियुक्तगण के घर गया था। अभियुक्तगण ने हर माह तनखाह देने के लिए कहा था लेकिन हर माह तनखाह नहीं दी। गांव के अन्य व्यक्ति भी वादी के साथ काम करने गये थे, जिन्हें अभियुक्तगण समय पर तनखाह देते थे, किन्तु वादी को नहीं देते थे। वादी ने अपने बयान में कहा कि जिस समय कि घटना है उस समय रात अंधेरी थी या उजाली थी नहीं मालूम। उस समय रात नहीं हुई थी। पैसे माँगने के आधा घण्टे बाद घटना घटित हुई थी। रात उस समय नहीं हुई थी। वादी पी०डब्लू० 1 ने अपनी प्रति-परीक्षा में कहा कि झगड़ा घर के अंदर हुआ था बाहर नहीं हुआ था। मारपीट 5-6 मिनट तक हुई थी। जमीन पर डाल दिया था। पूरे शरीर पर चोटें आई थी, उन चोटों से कोई खून नहीं निकला था। गुम चोटें आई थी। सिर में कोई चोट नहीं थी। पैर व पीठ में चोटें आई थी। माँ-बाप के साथ 2-3 मिनट तक मारपीट हुई थी। डाक्टरी नहीं हुई थी। जिस दिन घटना हुई थी उस दिन वादी थाने नहीं गया था। अगले दिन मोटरसाइकिल से गया था। थाने में जब मुकदमा नहीं लिखा गया तब वादी ने वकील से सम्पर्क किया और टाइप कराकर प्रार्थना पत्र दिया। वादी ने अपनी प्रति-परीक्षा में अग्रेतर यह स्पष्ट रूप से कहा कि जब मुल्जिमान मेरे पास आये तब मैं अपने घर के बरामदे में था। मैं दरवाजा खोलने गया। दरवाजा से घुसते ही मारपीट शुरू कर दिया। दरवाजे से पश्चिम की तरफ आ गये। दरवाजे से एक मीटर दूर मारपीट की। वादी ने स्पष्ट रूप से कहा कि मेरी पत्नी के साथ मारपीट नहीं की थी। यद्यपि कि वादी ने इस बात को न तो अपनी रिपोर्ट में लिखाया और न विवेचक को बताया कि उसकी पत्नी बचाने आई थी। पी०डब्लू० 2 गंगा सिंह वादी केरन सिंह के पिता हैं, जिन्होंने शाम के लगभग 06.30 बजे की घटना होना बताया है। 06.30



बजे और 07.00 बजे में कोई विशेष अंतर का प्रतिकूल प्रभाव अभियोजन कथानक पर नहीं पड़ेगा। समय में कुछ मिनटों का अन्तराल स्वाभिक है क्योंकि साक्षीगण ग्रामीण परिवेश के हैं। पी०डब्लू० 2 गंगा सिंह ने वादी साक्ष्य का अक्षरशः समर्थन किया है और कहा कि श्यामवीर और जसवीर दोनों लोग घर में घुस गये। पुत्र केरन सिंह के साथ मारपीट करने लगे और कहा साले धनुका दाम माँगेगा। मारपीट घर के आँगन में हुई थी। हम लोग बचाने गये थे तो हम लोगों के साथ भी मारपीट हुई थी। मौके पर गवाह लक्ष्मण, धर्मदास व किशोर कुमार आदि लोग आ गये थे। घटना सर्दी के मौसम की होना बताया है। उस समय दिन छिप गया था, लेकिन पूरी तरह रात नहीं हुई थी। घटना से एक महीने पहले पी०डब्लू० 1 दिल्ली से आया था। पी०डब्लू० 2 गंगा सिंह के साक्ष्यों में आया है कि अभियुक्तगण के पास डण्डे थे। साले धनुका जान से मार देने की बात कहते हुए आ रहे थे। घटना से पहले कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था। पी०डब्लू० 2 के साक्ष्यों में आया है कि पत्नी को भी थप्पड़, घुंसों की चोटें आई थी। लड़के के पीठ, घुटनों में चोटें आई थी। मारपीट 3-4 मिनट हुई थी। खून किसी के नहीं निकला था। अंधेरा हो गया था, किन्तु लैम्प जल रहा था। लैम्प की रोशनी में इन लोगों को देखा था। पी०डब्लू० 3 ने 4-6 दिनों बाद थाने जाने की बात कही है, किन्तु वादी ने अगले दिन थाने जाने की बात कही है। इस विरोधाभास का कोई प्रतिकूल प्रभाव अभियोजन कथानक पर नहीं पड़ेगा। सम्पूर्ण बयानों से स्पष्ट है कि वादी घटना की रिपोर्ट करने थाने गया था, किन्तु थाने पर रिपोर्ट नहीं लिखी गयी। वादी की माँ पी०डब्लू० 3 ने अपने साक्ष्यों में घटना का समर्थन किया और घटना शाम के 07.00 की होना बताया है। उस समय पी०डब्लू० 3 घर पर मौजूद थी। अभियुक्तगण ने आते ही केरन सिंह के साथ मारपीट की। मारपीट डण्डा और हाथों से किया। अभियुक्तगण ने कहा कि साले धनुका और रूपये माँगेगा। मैं और मेरे पति बचाने गये तो हम लोगों के साथ भी उन लोगों ने मारपीट किया। अभियुक्तगण ने गाली-गलौज की थी और जान से मार देने की धमकी दी थी। जाति सूचक शब्द 'धनुका' कहा था। पी०डब्लू० 3 ने अपने साक्ष्यों में कहा कि घटना वाले दिन लड़का मुल्जिमान के घर पैसे माँगने गया था। उस दिन देर हो गयी थी। घटना वाले दिन मुल्जिमान गाँव आ गये थे। श्यामवीर व जसवीर दोनों के हाथ में डण्डा थे। मारपीट पाँच मिनट तक हुई थी। बीच-बचाव में हमको हाथों से मारा था। पी०डब्लू० 3 के अनुसार

आस-पास में यादवों, धोबियों व कठेरिया लोगों के मकान हैं, लेकिन बचाने कोई नहीं आया था। किशोर, रितेश, लक्ष्मण आदि आ गये थे। इन लोगों ने बीच-बचाव किया था। बहू के साथ भी मारपीट की गयी थी। लड़के की टांग में डण्डा लगा था। एक आधा डण्डा पीठ में लगा था। लड़ाई बाहर हुई थी। लड़ाई होते-होते देहरी पर पहुँच गये थे। पड़ोसी मदनपाल, जगदीश आदि बाहर खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। पी०डब्लू० 7 के रूप में किशोर कुमार को परीक्षित किया गया है जो पक्षद्रोही हो गया और अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया। सम्पूर्ण साक्ष्यों के विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि घटना कारित होने की पृष्ठभूमि में वादी का पैसे बकाया होना था। वादी पैसे माँगने के लिए अभियुक्तगण के घर गया था। इसी से कुपित होकर अभियुक्तगण गाली-गलौज देते हुए आये। वादी पी०डब्लू० 1 ने दरवाजा खोला और अभियुक्तगण ने घर में घुसकर मारपीट वादी और उसके माता-पिता के साथ किया। घटना स्थल सार्वजनिक स्थान है जो लोक दृष्टि में आने वाला स्थान है। यद्यपि कि नक्शा नजरी में प्रकाश की कोई व्यवस्था का अंकन विवेचक द्वारा नहीं किया गया है, किन्तु साक्ष्यों से यह बात स्पष्ट है कि शाम हो चुकी थी, किन्तु इतने प्रकाश की व्यवस्था थी कि अभियुक्तगण को आसानी से पहचाना जा सकता है। अभियुक्तगण अपरिचित नहीं थे। वादी व उसके परिवारीजन पहले से जानते-पहचानते थे। स्वतंत्र साक्षियों का अभाव प्रस्तुत मामले में कदापि प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला तथ्य नहीं है। अभियुक्तगण को अकारण फंसाये जाने का कोई कारण परिलक्षित नहीं होता है। वादी और उसके परिवार वालों को इस प्रकार की कोई नहीं हुई थी कि जिनका मेडिकल परीक्षण किया जाना आवश्यक रहा हो। जहाँ तक अभियुक्तगण के पकड़े जाने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में यह ध्यान दिया जाना समिचीन है कि ग्रामीण परिवेश में लोग वाद-विवाद से दूर रहना उचित समझते हैं और इस कारण आस-पास का कोई व्यक्ति अभियुक्तगण को पकड़ने का साहस नहीं जुटा सका। बचाव पक्ष की ओर से इस बिन्दु पर विशेष रूप से बल दिया गया है कि घटना के समय अंधेरा था, जबकि वास्तविक स्थिति यह है कि घटना शाम के 07.00 बजे की है। उस समय इतना अंधेरा नहीं होता है कि उस समय किसी अमुक व्यक्ति को न पहचाना जा सके, क्योंकि मारपीट व गाली-गलौज के कुछ क्षण पहले वादी अभियुक्तगण के घर गया था और वहाँ कहासुनी हुई थी और उसके

तत्काल पश्चात अभियुक्तगण पीछा करते हुए आये थे और गाली दे रहे थे। गाली अपितु घर के अन्दर और बाहर भी दी गयी, जो जनता की श्रवणगोचरता में था। दरवाजा खटखटकाने पर वादी ने दरवाजा खोला। वादी की माँ ने लैम्प जलने की बात अपने साक्ष्य में कही है, उस समय कदापि घटाटोप अंधेरा नहीं था। वादी और उसके परिवारवालों को चोटें आई थी, किन्तु वह साधारण प्रकृति की थी और इस कारण उनका मेडिकल परीक्षण नहीं कराया जा सका। अभियुक्तगण ने धानुका जैसे जाति सूचक शब्दों से सम्बोधित करते हुए गाली-गलौज किया। यत्र-त्र विरोधाभास कदापि अभियोजन कथानक की विश्वनीयता को प्रभावित नहीं करेगा। बचाव पक्ष की ओर से इस कथित विरोधाभास की ओर न्यायालय का ध्यान आकृष्ट कराया गया कि वादी के कथनानुसार वह घटना के अगले दिन सुबह 07.30 बजे थाने गया, जबकि उसके पिता ने 4-6 दिन बाद थाने जाने का कथन किया। उक्त कथित विरोधाभास अभियोजन के मूल को प्रभावित करने वाला तथ्य नहीं है। माँ ने भले ही अपने बयानों में यह कहा हो कि घटना किस महीने की है उसे जानकारी नहीं है, किन्तु यह भी ध्यान दिये जाने योग्य है कि उक्त महिला विशुद्ध रूप से ग्रामीण परिवेश की महिला है। महीना न बताने का यह अर्थ कदापि नहीं है कि घटना ही नहीं कारित की गयी है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्य पूर्णतः अकाट्य एवं विश्वसनीय हैं। नक्शा नजरी में वर्णित घटना स्थल और साक्षियों द्वारा बताये गये घटना स्थल में तारतम्यता है, उसमें किसी प्रकार का अन्तर्विरोध नहीं है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य पूर्णतः विश्वसनीय तथा न्यायालय का विश्वास जागृत करने वाले हैं। बचाव पक्ष की ओर से तर्क दिया गया कि अनुचित आर्थिक लाभ लेने के उद्देश्य से मुकदमा लगाया गया और पार्टीबन्दी के बिन्दी का आधार लिया गया किन्तु न तो पार्टीबन्दी को साबित किया गया और अभियुक्तगण को झूठा फंसाये जाने का कोई आधार प्रतीत नहीं होता है। साक्ष्यों से यह बात संदेह से परे सिद्ध है कि अभियुक्तगण ने दिनांक 25-12-2011 को समय लगभग 07.00 बजे शाम वादी के घर में घुसकर गृहअतिचार किया, स्वेच्छया उपहति कारित की, गाली-गलौज देकर प्रकोपित किया तथा जान से मारने की धमकी दी, जाति सूचक गालियां देकर सार्वजनिक स्थान पर अपमानित किया। साक्ष्यों के आलोक में अभियुक्तगण श्यामवीर एवं जयवीर उर्फ जसवीर के विरुद्ध लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा

452, 323/34, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता तथा धारा 3(1)(X) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 को युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध करने में पूर्णतः सफल रहा है। अभियुक्तगण दोषसिद्ध किये जाने योग्य है।

### आदेश

अभियुक्तगण श्यामवीर सिंह एवं जयवीर सिंह उर्फ जसवीर को आरोप अंतर्गत धारा 452, 323/34, 504, 506 भा०द०सं०, व धारा 3(1)(X) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989, के आरोप में दोष सिद्ध किया जाता है।

उनकी जमानतें व बन्ध पत्रों को निरस्त किया जाता है तथा उनके जामीनदारों को दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्तगण को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाए। दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु पत्रावली पुनः पेश हो।

साक्षी पी०डब्लू० 4 लक्ष्मण, पी०डब्लू० 5 धर्मदास, पी०डब्लू० 7 किशोर कुमार द्वारा मिथ्या साक्ष्य दी गयी है और पक्षद्रोही घोषित किये गये हैं। अतः उनके विरुद्ध मिथ्या साक्ष्य न्यायालय में दिये जाने के कारण धारा-344 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत विविध वाद दर्ज हो तथा उन्हें कारण बताओ नोटिस भी जारी हो।

(इफराक अहमद)

दिनांक: 15.02.2024 विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० एक्ट  
 फिरोजाबाद।

ID NO UP6193

दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु पत्रावली पुनः पेश हुई।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा कथन किया गया है कि अभियुक्तगण द्वारा अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के साथ अपराध कारित किया गया है। अर्थात् अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 में विधायिका द्वारा उदघोषित अधिनियम के उद्देश्य व प्रयोजन को दृष्टिगत रखते हुए अधिकतम दण्ड दिये जाने की याचना की गयी है।

दूसरी ओर अभियुक्तगण/बचावपक्ष के विद्वान अधिवक्ता की ओर से यह कथन किया गया है कि अभियुक्तगण सगे भाई हैं तथा एक परिवार से हैं, अभियुक्तगण अत्यन्त गरीब हैं, उनके परिवार में अन्य को कमाने वाला सदस्य नहीं है। अभियुक्तगण का यह प्रथम अपराध है। न्यूनतम दण्ड दिये जाने की याचना की गयी है।

मामले की गंभीरता और प्रकृति, अभियुक्तगण का सामाजिक परिवेश एवं अन्य सुसंगत परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्तगण को निम्न प्रकार से दण्डित किया जाना न्यायोचित होगा।

### दण्डादेश

#### (1) अभियुक्त श्यामवीर सिंह निम्न प्रकार दण्डादिष्ट किया जाता

है-

**धारा 452 भारतीय दण्ड संहिता** के अन्तर्गत अपराध कारित करने के लिए 05 वर्ष का सश्रम कारावास व मुव० 5,000/- (पाँच हजार रुपये) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में उसे 06 माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

**धारा 323/34 भारतीय दण्ड संहिता** के अन्तर्गत अपराध कारित करने के लिए 01 वर्ष का सश्रम कारावास व मुव० 1,000/- (एक हजार रुपये) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में उसे एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

**धारा 504 भारतीय दण्ड संहिता** के अन्तर्गत अपराध कारित करने के लिए 06 माह का सश्रम कारावास व मुव० 500/- (पाँच सौ रुपये) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में उसे एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

**धारा 506 भारतीय दण्ड संहिता** के अन्तर्गत अपराध कारित करने के लिए 06 माह का सश्रम कारावास व मुव० 500/- (पाँच सौ रुपये) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में उसे एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

**धारा 3(1) (X) अनुसूचित जाति अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989** के अन्तर्गत उपबन्धित, दाण्डिक प्रावधान के अन्तर्गत 04 वर्ष का सश्रम कारावास व 2,000/- (दो हजार रुपये) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है।

अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में उसे एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

**(2) अभियुक्त जयवीर सिंह उर्फ जसवीर निम्न प्रकार दण्डादिष्ट किया जाता है-**

धारा 452 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराध कारित करने के लिए 05 वर्ष का सश्रम कारावास व मुव० 5,000/- (पाँच हजार रुपये) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में उसे 06 माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

धारा 323/34 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराध कारित करने के लिए 01 वर्ष का सश्रम कारावास व मुव० 1,000/- (एक हजार रुपये) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में उसे एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

धारा 504 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराध कारित करने के लिए 06 माह का सश्रम कारावास व मुव० 500/- (पाँच सौ रुपये) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में उसे एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

धारा 506 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराध कारित करने के लिए 06 माह का सश्रम कारावास व मुव० 500/- (पाँच सौ रुपये) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में उसे एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

धारा 3(1) (X) अनुसूचित जाति अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत उपबन्धित, दण्डिक प्रावधान के अन्तर्गत 04 वर्ष का सश्रम कारावास व 2,000/- (दो हजार रुपये) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में उसे एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

सभी सजायें साथ-साथ चलेगीं।

अभियुक्तगण द्वारा इस प्रकरण में इससे पूर्व में बितायी गयी जेल की अवधि सजा में समायोजित की जाये।

अधिरोपित धनराशि में से पचास प्रतिशत धनराशि चोटहिल / पीड़ित को अपील अवधि अथवा अपील के अन्तिम निस्तारण के उपरांत अदा की जाए।

इस निर्णय की प्रति निःशुल्क अभियुक्तगण को तत्काल प्रदत्त की जाये तथा एक प्रति जिला मजिस्ट्रेट फिरोजाबाद को प्रेषित की जाये। अभियुक्तगण का सजायावी वारण्ट बनाकर दण्डादेश भुगतने हेतु जिला कारागार फिरोजाबाद प्रेषित किया जाए।

(इफराक अहमद)

दिनांक: 15.02.2024 विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० एक्ट  
 फिरोजाबाद।

ID NO UP6193

आज यह निर्णय व आदेश मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके उदघोषित किया गया।

(इफराक अहमद)

दिनांक: 15.02.2024 विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० एक्ट  
 फिरोजाबाद।

ID NO UP6193